विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल (म0प्र0)

प्रकरण क्रमांक L00-11/2024

प्रबंध निदेशक,
मेसर्स एक्वाटिक पाईप्स एंड ट्युब्स प्रा0लि0 राजगढ़, — आवेदक
सर्वे नं. 24/3/2 एण्ड 24/3/4/2, ग्राम मनोहरपुरा,
भोपाल जयपुर हाईवे, राजगढ़ (ब्यावरा)
पिन कोड – 465661 (म.प्र.)

विरूद्ध

महाप्रबंधक (संचा./संधा.) वृत्त,
मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, — अनावेदक
राजगढ. (म0प्र0)
पिन कोड– 465661(म.प्र.)

आदेश
(दिनाँक 02 अगस्त' 2024)

आवेदक की ओर से आवेदक के अधिकृत प्रतिनिधि श्री इन्द्रजीत बछेरिया सी0ई0ओ0, उपस्थित । अनावेदक की ओर से उनके प्रतिनिधि श्री सी.के. वारूड़कर, डी0जी0एम0, म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. ऑफिस राजगढ़ उपस्थित।

01. आवेदक द्वारा विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत प्रकरण क्रमांक बी.टी. 28/2023 में पारित आदेश दिनांक 28.12.2023 से असंतुष्ट होने के कारण विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42 (6) के अंतर्गत यह अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। उक्त अभ्यावदेन में विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम भोपाल के आदेश दिनाँक 28.12.2023 द्वारा पावर फैक्टर इंसेटिव की रिफंड की गयी राशि पर ब्याज देने तथा फरवरी 2023 एवं मार्च 2023 का MPERC Supply Tariff Order 2022-23 की प्रभावी अवधि के दौरान Supply Tariff Order अनुसार पावर फैक्टर इंसेंटिव मय ब्याज के रिफंड करने हेतु आदेश करने का निवेदन किया है।

02. दिनाँक 01.04.2024 को अभ्यावेदन के प्रारंभिक परीक्षण के पश्चात् अभ्यावेदन विनियम की कण्डिका 3.37 में विनिर्दिष्ट समय–सीमा से बाहर प्रस्तुत किये जाने के कारण आवेदक को दिनाँक 03.04.2024 को मूलतः वापिस किया गया। आवेदक ने पुनः अपने पत्र दिनाँक 15.04.2024

द्वारा विनियम की कण्डिका 3.37 में विनिर्दिष्ट समय–सीमा से बाहर होने के कारण कण्डिका 3.37 के पालन में छूट दिए जाने हेतु निवेदन किया।

उपरोक्त पत्र द्वारा आवेदक ने **"मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना), विनियम 2021" की कण्डिका 3.37** के प्रावधानानुसार विद्युत लोकपाल के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की समयावधि से छूट इस आधार पर चाही कि फोरम, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनाँक 28.12.2023 फोरम के पत्र क्रमांक/विउशिनि फोरम/459 दिनाँक 28.12.2023 के माध्यम से आवेदक को दिनाँक 01.03.2024 को प्राप्त हुआ था।

उपरोक्त कारण की वस्तुतः स्थिति प्राप्त करने के पश्चात्, उपरोक्त विनियम की कण्डिका अनुसार अभ्यावदेन को विलंब से स्वीकार कर दिनाँक 06.05.2024 को ग्राह्य कर उभय पक्षों को दिनाँक 22.05.2024 को प्रारंभिक सुनवाई के लिये सूचना पत्र जारी किये गये।

03. प्रकरण के संक्षिप्त बिन्दु निम्नानुसार हैः–

(1) आवेदक मेसर्स एक्वाटिक पाइप्स एंड टयूब्स प्रा.लि. द्वारा फैक्ट्री के संचालन हेतु मध्य प्रदेश क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड म.प्र. का 33KV का विद्युत उच्चदाब कनेक्शन लिया, जिसका क्रमांक 86825572496 है।

(2) MPCZ द्वारा "**Excess Power Factor Incentive given during September 2021 to November 2022"** की अवधि का हवाला देकर उक्त मद में माह जनवरी 2023 से जून 2023 तक रू. 43,875/– की 6 सामान मासिक किस्तों में कुल राशि रू. 2,63,250/– की वसूली की गयी थी तथा दिसम्बर' 22 से मार्च' 23 तक MPERC Supply Tariff Order 2022-23 की प्रभावी अवधि के दौरान पावर फैक्टर इंसेंटिव दिया गया अर्थात आवेदक अनुसार उसकी पात्रता से एक स्टेप कम करके यानि 7% के स्थान पर 5% इत्यादि इंसेंटिव दिया गया जिस बाबत आवेदक द्वारा माननीय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र) भोपाल को शिकायत आवेदन दिनाँक 25.09.2023 में उक्त राशि मय ब्याज के लौटने हेतु अनुरोध किया गया था।

(3) विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र) भोपाल द्वारा पारित निर्णय दिनाँक 28.12.2023 में फोरम ने आवेदक के आवेदन को स्वीकार कर सिर्फ पावर इंसेंटिव की रिकवरी राशि को आगामी माहों के विद्युत देयकों में समायोजित करने का आदेश पारित किया जबकि आवेदक ने अपने आवेदन में उक्त वसूली गयी अवैध राशि पर ब्याज सहित राशि लौटाने का अनुरोध किया था एवं दिसंबर' 22 से मार्च' 23 तक MPERC Supply Tariff Order 2022-23

की प्रभावी अवधि के दौरान Supply Tariff Order अनुसार पावर फैक्टर इंसेंटिव मय ब्याज के रिफंड करने का अनुरोध भी किया था, जिस पर फोरम ने कोई निर्णय नहीं दिया।

(4) आवेदक ने अपने अभ्यावेदन में अनुरोध किया है कि उक्त वसूली गयी अवैध राशि रू. 2,63,250/– जिसका फोरम ने आगामी विद्युत बिलों में समायोजित करने का आदेश दिया है, उस पर ब्याज सहित लौटाने का आदेश तथा माह फरवरी 2023 (PF_0.9736) में 3% के स्थान पर 2% एवं मार्च 2023(PF_0.9819) में 5% के स्थान पर 3% पावर फैक्टर इंसेंटिव दिया गया है, जो नियमानुसार पात्रता से एक स्टेप कम है, के MPERC Supply Tariff Order 2022-23 की प्रभावी अवधि के दौरान Supply Tariff Order अनुसार पावर फैक्टर इंसेंटिव की अंतर राशि रू. 47,104/– मय ब्याज के रिफंड करने का अनावेदक को आदेश करें।

04. प्रस्तुत अभ्यावेदन में आवेदक द्वारा निम्न प्रार्थना की गई :–

"उक्त अभ्यावदेन में विद्युत उपभोक्ता निवारण फोरम भोपाल द्वारा आदेश दिनाँक 28.12.2023 के तहत पावर फैक्टर इंसेटिव की रिफंड की गयी राशि पर ब्याज देने तथा फरवरी 2023 एवं मार्च 2023 का MPERC Supply Tariff Order 2022-23 की प्रभावी अवधि के दौरान Supply Tariff Order अनुसार पावर फैक्टर इंसेंटिव मय ब्याज के रिफंड करने का आदेश जारी करने बाबत।"

05. विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल क्षेत्र द्वारा उक्त प्रकरण में क्रमांक बी.टी. 28/2023 में निम्नानुसार आदेश दिया गया :–

फोरम का निर्णय :–

"प्रकरण में की गई उपरोक्त विवेचना तथा उभय पक्षों को पूर्ण रूप से सुनने के पश्चात् उनके द्वारा फोरम के समक्ष प्रस्तुत तथ्यों, निष्कर्षों, कथनों तथा दस्तावेजों के आधार पर तथा स्थापित विधि/ विनियमों के प्रकाश में निम्नानुसार निर्णय पारित किया जाता है :–

i. *आवेदक /उपभोक्ता का आवेदन स्वीकार किया जाता है।*

ii. *फोरम द्वारा की गयी समीक्षा क्र. 03 तथा 04 में प्रकाश में आये तथ्यों से यह निष्कर्ष निकलता है कि अनावेदक द्वारा म.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित Retail Supply Tariff Order FY 2021-22 तथा 2022–2023 की General Terms and condition for HT Tariff की कंडिका 1.8 उपभोक्ता को पॉवर फैक्टर इंसेटिव भुगतान किये जाने हेतु अलग–अलग स्लेब में पॉवर फैक्टर की रेंज Above 95% and up to 96%, above 96% and up to 97%, above 97% and up to 98% , above 98% up to 99%, above 99% को क्रमशः 96%, 97%, 98% , 99% तथा 100% में म.प्र. विद्युत नियामक*

आयोग की बिना किसी लिखित अनुमति के परिवर्तन कर, माह सितम्बर' 2021 से नवम्बर' 2022 तक की मध्य अवधि में उपभोक्ता को पूर्व में भुगतान हुई पॉवर फैक्टर इंसेटिव की राशि को पुनः गणनाकर उपभोक्ता से रिकवरी किया जाना Retail supply tariff order FY 2021-22 तथा FY 2022-23 की General terms and condition for HT Tariff की कंडिका 1.26 तथा म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता 2013 एवं 2021 की कंडिका 6.21 में दिये गये प्रावधान के अनुसार विधि अनुरूप नहीं है। अतः अनावेदक द्वारा म.प्र विद्युत नियामक आयोग से बिना ऐसी लिखित अनुमति प्राप्त किये टैरिफ संरचना में बदलाव कर उपभोक्ता से की गयी रिकवरी माह सितम्बर' 2021 से नवम्बर' 22 तक फोरम द्वारा अमान्य/निरस्त की जाती है। अनावेदक द्वारा टैरिफ संरचना में बदलाव कर यदि पॉवर फैक्टर इंसेटिव की रिकवरी की राशि वसूल की गयी है तो उस राशि को उपभोक्ता के आगामी माहों के विद्युत देयकों में समायोजित किये जावे।

iii. *अनावेदक यदि म.प्र विद्युत प्रदाय संहिता 2021 में पॉवर फैक्टर की परिभाषा अनुसार म.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित टैरिफ आदेश वर्ष 2021–22 तथा 2022–2023 की General terms and condition for HT Tariff की कंडिका 1.8 Power factor incentive में पॉवर फैक्टर इंसेटिव भुगतान हेतु पॉवर फैक्टर की अलग–अलग स्लेब में दी गयी पॉवर फैक्टर की रेंज के संबंध में स्पष्टीकरण चाहता है, तो वह इस संबंध में म.प्र. विद्युत नियामक आयोग में याचिका लगाकर आयोग से लिखित अनुमति प्राप्त कर तदनुसार पॉवर फैक्टर इंसेटिव भुगतान से संबंधित कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है।*

iv. *आवेदक का परिवाद निराकृत किया जाकर आदेश पारित है।*

v. *उभयपक्ष अपना अपना वाद–व्यय स्वयं वहन करेंगे।*

vi. *म.प्र. विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण द्वितीय) विनियम 2021 के अध्याय 3 की कंडिका 3.29 में किये गये प्रावधान के अनुसार अनावेदक फोरम के आदेश का अनुपालन आदेश प्राप्त होने की तिथि से 45 दिवस के अंदर करें।"*

06. सुनवाई का संक्षिप्त विवरण

(i) **दिनाँक 22.05.2024 की सुनवाई के दौरान** आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। आवेदक के प्रतिनिधि श्री इंद्रजीत बछेरिया द्वारा उनके पत्र दिनाँक 20.05.2024 जो कि इस कार्यालय में दिनाँक 21.05.2024 को प्राप्त हुआ, के माध्यम से सूचित किया कि वे

दिनाँक 22.05.2024 को कतिपय अपरिहार्य कारणों से व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित होने में असमर्थ हैं । इसलिए प्रकरण की सुनवाई आगे बढ़ाने हेतु निवेदन किया गया।

अनावेदक की ओर से श्री सी.के. वारूड़कर, डी0जी0एम0 ऑफिस, राजगढ़ उपस्थित हुए। अनावेदक द्वारा प्रकरण से संबंधित लिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत कर यह अवगत कराया कि विद्युत वितरण कंपनी द्वारा इस प्रकरण में पारित आदेश दिनाँक 28.12.2023 के विरूद्ध अपील **माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर के समक्ष प्रस्तुत की जा चुकी है, जिसका प्रकरण क्रमांक WP/7962/2024 है।** अनावेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर के समक्ष प्रस्तुत उक्त रिट याचिका WP/7962/2024 में निर्णय होने तक इस प्रकरण क्रमांक एल00–11/2024 में स्थगन आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

चूंकि आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं था एवं उनके द्वारा सुनवाई तिथि आगे बढ़ाने हेतु निवेदन किया गया इसलिए प्रकरण में **अगली सुनवाई 12.06.2024** को नियत की गई ।

(ii) **दिनाँक 12.06.2024 की सुनवाई के दौरान** आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अनावेदक की ओर से श्री मुकेश अहिरवार, सहायक राजस्व अधिकारी, डी0जी0एम0 ऑफिस, राजगढ़ उपस्थित हुए। उनके द्वारा मौखिक रूप से यह बताया गया कि अनावेदक द्वारा फोरम के आदेश के विरूद्ध **माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर के समक्ष याचिका क्रमांक WP/7962/2024** प्रस्तुत की जा चुकी है, जो कि लंबित है। अतः उपर्युक्त रिट याचिका में निर्णय पारित होने तक इस प्रकरण में स्थगन आदेश प्रदान करें।

अनावेदक द्वारा पूर्व सुनवाई दिनांक 22.05.2024 को प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर की बेवसाईट पर प्रकरण क्रमांक WP/7962/2024 की स्थिति के अवलोकन से यह ज्ञात हुआ कि उक्त याचिका में माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर द्वारा आदेश दिनांक 12.04.2024 द्वारा उक्त याचिका में अनावेदकों को 4 सप्ताह के अंदर नोटिस जारी किए जाने हेतु आदेशित किया है।

उपर्युक्त परिस्थितियों को एवं आवेदक की अनुपस्थिति को ध्यान में रखते हुए इस प्रकरण में आवेदक को सुनने हेतु **अगली सुनवाई 28.06.2024** को नियत की गई।

(iii) **दिनाँक 28.06.2024 की सुनवाई के दौरान** आवेदक के प्रतिनिधि द्वारा इस प्रकरण की सुनवाई आवेदक के ही दूसरे प्रकरण L00-11/2024 में सुनवाई की दिनाँक को नियत करने

का अनुरोध किया गया। आवेदक के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए इस प्रकरण में अगली सुनवाई **11.07.2024** को नियत की गई।

(iv) **दिनाँक 11.07.2024 की सुनवाई के दौरान** उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदनों को संज्ञान में लेते हुए अनावेदक को अपना प्रतिउत्तर प्रस्तुत करने हेतु दिनाँक 22.07.2024 तक का समय दिया गया एवं इस प्रकरण में अगली सुनवाई दिनाँक 24.07.2024 को नियत की गई।

(v) **दिनाँक 24.07.2024 की सुनवाई के दौरान** अनावेदक की ओर से श्री मुकेश अहिरवार, सहायक अधिकारी, जी0एम0 ऑफिस, राजगढ़ उपस्थित हुए। उन्होंने अनावेदक महाप्रबंधक(संचा./संधा.) वृत्त, राजगढ़ के पत्र क्रमांक 2714 दिनाँक 18.07.2024 प्रस्तुत किया। उक्त पत्र की प्रतिलिपि आवेदक को भी उपलब्ध कराई गई। अनावेदक के उपरोक्त पत्र में यह कथन किया गया कि चूंकि विषयांतर्गत प्रकरण अभी माननीय उच्च न्यायालय, इन्दौर के समक्ष विचाराधीन है अतएव उपरोक्त परिस्थिति में राशि मयब्याज का विषय विचार योग्य नहीं है।

उपरोक्त पत्र में आकस्मिक कार्यालयीन कार्य के कारणवश प्रभारी अधिकारी के उपस्थित नहीं होने के कारण प्रकरण की सुनवाई की तिथि को बढ़ाने का अनावेदक द्वारा अनुरोध किया गया। सुनवाई में आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। आवेदक के प्रतिनिधि द्वारा दूरभाष पर यह सूचित किया गया कि अनावेदक द्वारा उपरोक्त कारणों की सूचना उनको दी जा चुकी है इसलिए सुनवाई में आवेदक उपस्थित नहीं हो सकेंगे।

अनावेदक के उपरोक्त पत्र दिनाँक 18.07.2024 के जवाब में आवेदक द्वारा अपना प्रतिउत्तर ई–मेल के माध्यम से प्रस्तुत किया। उक्त प्रतिउत्तर की प्रति सुनवाई के दौरान अनावेदक को प्रदान की गई।

उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस प्रकरण में अगली सुनवाई दिनाँक 31.07.2024 को नियत की गई।

(vi) **दिनाँक 31.07.2024 की सुनवाई के दौरान**

आवेदक की ओर से उनके प्रतिनिधि श्री इन्द्रजीत बछेरिया, सी0ई0ओ0, उपस्थित हुए। अनावेदक की ओर से श्री सी0के0 वारूडकर, डी0जी0एम0, जी0एम0, ऑफिस, राजगढ़ उपस्थित हुए। उभय पक्षों को पूर्ण संतुष्टि तक सुना एवं दस्तावेज/तथ्य/कथन प्रस्तुत

करने का अवसर दिया गया। उभय पक्षों द्वारा बताया गया कि इसके अतिरिक्त प्रकरण में आगे और कोई कथन नहीं किया जाना है ना ही कोई अतिरिक्त दस्तावेज/जानकारी प्रस्तुत की जानी है। अतः प्रकरण में सुनवाई समाप्त करते हुए प्रकरण आदेश हेतु सुरक्षित किया गया।

07. आवेदक एवं अनावेदक द्वारा कथन :–

(क) अनावेदक द्वारा इस प्रकरण पर प्रारंभिक उत्तर पत्र क्रमांक 2196 दिनाँक 25.06.2024 द्वारा निम्नलिखित कथन किया:–

(i) *"पूर्व में प्रकरण माननीय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र) भोपाल द्वारा प्रकरण को प्र.क्र. बी.टी.–28/23 पर दर्ज किया गया था जिसमें फोरम द्वारा दिनाँक 28.12.2023 को निर्णय पारित किया गया। उक्त निर्णय से असंतुष्ट होकर विद्युत कंपनी द्वारा आदेश दिनाँक 28.12.2023 की अपील माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर के समक्ष दिनाँक 21.03.2024 को संस्थित की जा चुकी है जिसका प्रकरण क्रमांक WP/7962/2024 है।*

(ii) *उल्लेखनीय है कि* ***"मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण–द्वितीय) विनियम 2021" की कंडिका 4.22*** *के अनुसार– यदि विद्युत लोकपाल ने किसी अभ्यावेदन की प्राप्ति पर परीक्षण प्रारंभ कर दिया हो तो अभ्यावेदन या परीक्षण में उठाये गये विषय पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अभ्यावदेन प्राप्ति की तिथि से तीन माह तक किसी न्यायालय में कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जानी चाहिए।*

(iii) *परंतु आपके परीक्षण प्रारंभ करने के पूर्व ही आदेश दिनाँक 28.12.2023 की अपील WP/7962/2024 माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर के समक्ष दिनाँक 21.03.2024 को संस्थित की जा चुकी है जिसके नोटिस की प्रति अनावेदक (मेसर्स एक्वाटिक पाइप्स एंड ट्यूब्स प्रा.लि.) को दिनाँक 08.05.2024 को प्राप्त हो चुकी है तथा उनके अधिवक्ता श्री प्रसन्न प्रसाद द्वारा दिनाँक 24.05.2024 को माननीय उच्च न्यायालय इन्दौर के समक्ष वकालतनामा प्रस्तुत कर दिया गया है।*

(iv) *जब तक प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में निराकृत नहीं होता विद्युत लोकपाल महोदय प्रकरण को संज्ञान में लेने के अधिकारी नहीं है। उक्त प्रकरण आपके श्रवणाधिकार से बाहर हो चुका है। अतः अनुरोध है कि माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर के समक्ष प्रस्तुत*

रिट याचिका WP/7962/2024 *लंबित होने के कारण इस प्रकरण एल00–11/2024 को खारिज कर निराकृत करने का कष्ट करें।"*

(ख) अनावेदक के उपरोक्त कथन पर आवेदक ने निम्न कथन किया :–

"इस संदर्भ में अनावेदक द्वारा पत्र दिनाँक 25.06.2024 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया था जिसकी प्रति कल दिनाँक 26.06.2024 को हमें प्रकरण क्रमांक 12/2024 की सुनवाई के दौरान दी गई थी, जिसके अंतर्गत विनियम 2021 की कंण्डिका 4.22 का ज़िक्र किया है जो अनुज्ञप्तिधारी के लिए पालनार्थ है एवं प्रथम दृष्टया प्रकरण को निपटान करने में विद्युत लोकपाल महोदय को कही नहीं रोकता प्रतीत होता है।

इस प्रकरण में विद्युत लोकपाल महोदय से निवेदन है कि प्रकरण क्रमांक 12/2024 में कल दिनाँक को सुनवाई में अगली तारीख दिनाँक 11.07.2024 निर्धारित की गई है उसी दिनाँक को इस प्रकरण क्रमांक 11/2024 में भी सुनवाई की तारीख़ निश्चित करने की कृपा करें।"

(ग) अनावेदक का अभ्यावेदन पर प्रतिउत्तर :–

आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन के संबंध में अनावेदक द्वारा बिंदुवार निम्न प्रतिउत्तर दिया गया:–

1–2. *"मेसर्स एक्वाटिक पाइप्स एण्ड ट्यूब्स द्वारा राजगढ़ संभाग अंतर्गत 33 केव्ही उच्चदाब कनेक्शन क्रमांक 86825572496 संविदा मांग 950 केव्हीए है।*

3. *मुख्य महाप्रबंधक (वाणिज्य) कार्या. प्रबंध संचालक (म.क्षे.) भोपाल के पत्र क्रमांक 197 दिनाँक 22.12.2022 के आधार पर कार्यवाही की गई। जिसमें उल्लेखित है कि:–*

As per point 1.8 "Power Factor incentive" of "General term and condition of High Tension Fariff' the HT Consumers are eligible for certain percent incentive of billed energy charges in case the calculated average power factor is more than 95%.

In the tariff order, for the purpose of providing power factor incentive the calculation of average power Factor has not been defined. Therefore, for applying the calculation logic in the billing system for power factor incentive, the definition of Power Factor has been referred to the Supply Code-2012 and accordingly power factor incentive is being provided to the consumers. The definition of power factor as per Supply Code-2023 is as "Power Factor" means

the average monthly power factor and shall be the ratio expressed as percentage of the total kilowatt hours to the total kilovolt ampere hours supplied during the month, the ratio being rounded off to two decimal figures, 5 or above in the third place of decimal being founded off to the next higher place in the second Incase kwh or KVAh reading is not available then power factor shall be calculated on the basis of kVARh reading, if the meter has KVARh recording feature."

The revised supply code has been published on 20-08-2021 and the definition of power factor has been amended as "power factor means the averae monthly power factor and shall be the ratio expressed as a percentage of the total kilowatt hours to the total kilovolt ampere hours supplied during the month: the ratio being rounded off to the nearest integer figure and the fraction of 0.5 or above will be rounded to next higher integer and the fraction of less than 0.5 shall be ignored."

Accordingly, calculation logic for providing power factor incentive. The recovery of excess power factor incentive provide to the HT Consumers in the period September-2021 to November-2022 are being attached herewith for issuing supplementary bill to the respective consumers.

उक्त आधार पर माह दिसम्बर 2021 से नवम्बर 2022 की अवधि का दिया गया अधिक पावर फैक्टर इंसेंटिव माह जनवरी–2023 से जून–2023 तक रूपये 43,875/– को 6 समान मासिक किश्तो में कुल राशि रू. 2,63,250/– की वसूली की गई। इसी आधार पर माह दिसम्बर–2022 तथा मार्च–2023 तक पावर फैक्टर इंसेंटिव दिया गया है।

4. *विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र) भोपाल द्वारा प्र.क्र. बी.टी.–28/23 में दिनांक 28.12.2023 को पारित आदेश से असंतुष्ट होकर विद्युत कंपनी द्वारा अपील माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर के समक्ष दिनाँक 21.03.2024 को संस्थित की जा चुकी है। जिसका प्रकरण क्रमांक WP/7962/2024 है। चूंकि प्रकरण अभी उच्च न्यायालय इन्दौर के समक्ष विचाराधीन है अतएव सम्बंधित उपभोक्ता को राशि मय ब्याज के लौटाने के संबंध में जवाब दिया जाना उचित नहीं है।*

(घ) आवेदक द्वारा अनावेदक के उपरोक्त प्रतिउत्तर पर निम्न उत्तर दिया गया :–

(i) *You may appreciate from our appeal that issue of Power Factor Incentive (PFI) has amply decided by the Forum in light of the provisions of relevant Tarriff Order(s) of MPERC governing Electricity Tarriff. In this backdrop, it may also be appreciated that PFI has to be extended to the consumer according to the Power Factor Range in which they fall.*

(ii) *The Power Factor Incentive table provided under clause. 1.8 of supply Tarriff Order, 2021-22 vis-à-vis 2022-2023 is a follows:*

Power Factor	***Percentage incentive payable on billed energy charges on the basis of energy actually consumed***
Above 95% and upto 96%	*1.0 (one percent**)***
Above 96% and upto 97%	*2.0 (two percent**)***
Above 97% and upto 98%	*3.0 (three percent**)***
Above 98% and upto 99%	*5.0 (five percent**)***
Above 99%	*7.0 (seven percent**)***

(iii) *In view of the aforementioned specific situation, the grant of PFI is regulated by aforesaid clause. 1.8 thus the definition of Power Factor provided under Section 2(00) of the Madhya Pradesh Electricity Supply Code, 2013 vis-a-vis the Madhya Pradesh Electricity Supply Code, 2021 has no bearing on said clause 1.8 as this definition doesn't come in the grant of PFI. The Forum has looked into the whole matter in a great detail in their order wherein they have allowed our appeal appreciating all statutory provisions. Therefore, we are not inclined to repeat their order.*

(iv) *The instant appeal is preferred for (1) grant of interest on the amount of PFI of Rs. 2, 63,250/- during the period of Sep'21 to Nov'22 unauthorisedly recovered by the Respondents and (2) for grant of refund of PFI of Rs. 47,104/- for the month of Feb'23 and Mar'23 which has been short sanctioned by the Respondents, violating the relevant Supply Tarriff Order(s) of MPERC.* ***These two issues were also part of our appeal made to Forum but inadvertently escaped its attention. Therefore, this appeal is preferred before the Lokpal.***

(v) *The aforesaid submission makes it clear that we are not agitating the order of Forum wherein the issue of PFI has been discussed and decided at arm's length. We have simply preferred this appeal for grant of interest and grant of entitled PFI during Feb-Mar' 23 which escaped the attentition of the Forum.*

(vi) *The aforesaid submission also indicates that the Respondents have been deliberately misleading the Lokpal by mixing up altogether two different issues i.e. Power Factor Incetive and Power Factor. It is crystal clear that the matter of PFI is to be governed by the Supply Tariff Order and the definition of Power Factor is not relevant for it as explained herein above.*

(vii) *Further, there has been no change made in the legality and spirit of the definition of Power Factor that provided under Madhya Pradesh Electricity Supply Code, 2013 vis-à-vis Madhya Pradesh Electricity Supply Code, 2021. For the sake of clarity, the definition of Power Factor is being reproduced herein;*

Section 2(00) of Madhya Pradesh Electricity Supply Code'2013

"Power Factor" *means the average monthly power factor and shall be the ratio expressed as a percentage of the total kilowatt hours to the total kilovolt ampere hours supplied during the month: the ratio being rounded off to two decimal places with five or above in the third place of decimal being rounded off to the next higher place in the second. In case kWh or kVAh reading is not available then power factor shall be calculated on the basis of kVARh, reading if the meter has kVaRh recording feature.*

Section 2(00) of Madhya Pradesh Electricity Supply Code'2021

"Power Factor" *means the average monthly power factor and shall be the ratio expressed as a percentage of the total kilowatt hours to the total kilovolt ampere hours supplied during the month: the ratio being rounded off to the nearest integer figure, and the fraction of 0.5 or above will be rounded to the next higher integer and the fraction of less than 0.5 shall be ignored."*

(viii) *A perusal of both these definitions reveal that the definition provided under Supply Code, 2021 has just been refined and made simpler without changing its original soul and spirit, therefore, the Respondents submission that the definition of Power Factor has been revised by the Supply Code, 2021 is falsification of factual position, thus misleading one.*

We hereby request your prompt resolution to the matter."

08. इस प्रकरण में अभिलेखों पर उपलब्ध एवं सुनवाई के दौरान प्राप्त निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए गए :–

i. माननीय उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश इंदौर बैंच के समक्ष अनावेदक द्वारा दायर की गई रिट पिटिशन क्रमांक WP/7962/2024 (सिविल) की प्रति।

ii. उपर्युक्त WP/7962/2024 में माननीय उच्च न्यायालय का आदेश दिनाँक 12.04.2024.

09. उक्त प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने के पश्चात् निष्कर्ष एवं निर्णय निम्नानुसार है :–

(i) दिनाँक 01.04.2024 को अभ्यावेदन के प्रारंभिक परीक्षण के पश्चात् अभ्यावेदन विनियम की कण्डिका 3.37 में विनिर्दिष्ट समय–सीमा से बाहर प्रस्तुत किये जाने के कारण आवेदक को दिनाँक 03.04.2024 को मूलतः वापिस किया गया। आवेदक ने पुनः अपने पत्र दिनाँक 15.04.2024 द्वारा विनियम की कण्डिका 3.37 में विनिर्दिष्ट समय–सीमा से बाहर होने के कारण कण्डिका 3.37 के पालन में छूट दिए जाने हेतु निवेदन इस आधार पर किया कि फोरम, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनाँक 28.12.2023 आवेदक को दिनाँक 01.03.2024 को प्राप्त हुआ था।

आवेदक से उपरोक्त कारण की वस्तुतः स्थिति प्राप्त करने के पश्चात्, उपरोक्त विनियम की कण्डिका अनुसार अभ्यावदेन को दिनाँक 06.05.2024 को ग्राह्य कर उभय पक्षों को दिनाँक 22.05.2024 को प्रारंभिक सुनवाई के लिये सूचना पत्र जारी किये गये।

(ii) दिनाँक 22.05.2024 को सुनवाई के दौरान अनावेदक के कथन एवं उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से यह ज्ञात हुआ कि अनावेदक विद्युत वितरण कंपनी द्वारा फोरम के उपरोक्त निर्णय के विरूद्ध दिनाँक 21.03.2024 को माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर के समक्ष रिट याचिका क्रमांक WP/7962/2024 (सिविल) दायर की जा चुकी है एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनाँक 12.04.2024 के आदेश से उक्त रिट याचिका में चार सप्ताह के अन्दर नोटिस भेजने हेतु भी आदेशित किया जा चुका है। इस प्रकरण में सुनवाई दिनाँक 28.06.2024 को आवेदक द्वारा यह सूचित किया गया कि उक्त रिट–याचिका में आवेदक को भी नोटिस प्राप्त हो चुका है।

(iii) उपरोक्तानुसार अभ्यावेदन को विद्युत लोकपाल द्वारा दिनाँक 06.05.2024 ग्राह्य किये जाने एव दिनाँक 22.05.2024 को परीक्षण प्रारम्भ करने के पूर्व ही अनावेदक द्वारा दिनाँक 21.03.2024 को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष फोरम के आदेश के विरूद्ध रिट याचिका दायर कर फोरम के पूर्ण निर्णय को चुनौती दी जा चुकी है। उक्त रिट याचिका में उभय पक्षों को नोटिस भी जारी हो चुके हैं एवं आवेदक के अधिवक्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष वकालतनामा भी प्रस्तुत किया जा चुका है। इस प्रकरण में अनावेदक द्वारा प्रस्तुत किये गए प्रतिउत्तर में विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, द्वारा पारित निर्णय के ही विषय वस्तुओं यानी Power Factor incentive की राशि पर ही अपना जवाब दिया गया एवं उपभोक्ता/आवेदक द्वारा राशि पर चाहा गया ब्याज के संबंध में अनावेदक द्वारा उक्त रिट याचिका क्रमांक WP/7962/2024 दायर किये जाने के कारण जवाब नहीं दिया गया।

(iv) आवेदक द्वारा अपने प्रतिउत्तर में Power Factor incentive से संबंधित बिन्दुओं पर ही म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता, 2003 एवं 2021 के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए फोरम द्वारा निर्णित बिन्दुओं पर ही जवाब दिया गया।

(v) उभयपक्षों के उपरोक्त प्रतिउत्तरों एवं आवेदक द्वारा विद्युत लोकपाल के समक्ष प्रस्तुत किये गए अभ्यावेदन में प्रार्थना से यह स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा वर्तमान अभ्यावेदन में जिन दो बिन्दुओं पर विद्युत लोकपाल से निर्णय चाहा गया है उन दोनों बिन्दुओं को भी आवेदक द्वारा फोरम के समक्ष लिखित आवेदन में शामिल किया गया था एवं फोरम के आदेश दिनाँक 28.12.2023 के पैरा क्रमांक 5 (viii) में उक्त दोनों बिंदुओं को संज्ञान में भी लिया गया है।

(vi) इस प्रकरण की सुनवाई में यह तथ्य प्राप्त हुए कि अनावेदक (विद्युत वितरण कंपनी) द्वारा फोरम के पूर्ण आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका 21.03.2024 दायर की जा चुकी है एवं माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष फोरम द्वारा निर्णय के समस्त विषय वस्तु विचाराधीन है।

(vii) अनावेदक द्वारा जिन बिंदुओं पर इस प्रकरण में निर्णय चाहा गया है उनके लिए फोरम के पूर्ण आदेश का परीक्षण करना ही न्यायोचित होगा। परन्तु ऐसी स्थिति में जबकि फोरम का पूर्ण आदेश अनावेदक द्वारा दायर की गई उक्त रिट याचिका में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, इस प्रकरण में फोरम के पूर्ण आदेश का विद्युत लोकपाल द्वारा परीक्षण करना विधिसम्मत नहीं होगा एवं फोरम के पूर्ण आदेश का परीक्षण किये बिना निर्णय देना न्यायसंगत नहीं होगा।

(viii) उपरोक्त के संदर्भ में मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण–द्वितीय) विनियम, 2021 की निम्न कंण्डिका 4.11(क) के प्रावधान का अध्ययन करना आवश्यक है :–

कंण्डिका *4.11*

"(क) अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (5) के अंतर्गत गठित फोरम के द्वारा शिकायत का निराकरण न किये जाने पर शिकायतकर्ता द्वारा दिये गये अभ्यावेदनों को ग्रहण एवं उन पर विचार कर सकेगा। उपरोक्त के होते हुए भी विद्युत लोकपाल, अधिनियम के भाग दस, ग्यारह, बारह, चौदह एवं पन्द्रह सहित आयोग या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष विद्यमान या प्रस्तावित कार्यवाहियों से संबंधित किसी विषयवस्तु के अभ्यावेदन ग्रहण नहीं करेगा।"

(ix) इस प्रकरण में उपरोक्त स्थिति एवं उपर्युक्त विनियम की कंण्डिका 4.11(क) में प्रावधान के अनुसार आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन विद्युत लोकपाल के श्रवण अधिकार योग्य नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाता है।

10. उक्त निर्णय के साथ प्रकरण निराकृत होकर समाप्त होता है। उभयपक्ष प्रकरण में हुआ अपना–अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे ।

11. आदेश की प्रति के साथ उभयपक्ष पृथक रूप से सूचित हों और आदेश की प्रति के साथ फोरम का मूल अभिलेख वापिस हो ।

(गजेन्द्र तिवारी)
विद्युत लोकपाल